

आदेश
के
बारे में

न्यायालय अपर समाहर्ता-सह-आर्बिट्रेटर, बोकारो।

भू-अर्जन अपील वाद संख्या-12/2019
(श्री हाबु मोदी देवी बनाम् NHA1 एवं अन्य)

क्रमांक सं०
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर


आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

~~25-08-2020~~

प्रस्तुत अपीलवाद सक्षम पदाधिकारी-सह-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो के भू-अर्जनवाद संख्या-10/2011-12, एवार्ड क्रमांक-91 में पारित आदेश के विरुद्ध श्री हाबु मोदी, पिता स्व० बुधु मोदी ग्राम-पुपुनकी, (घाटबेडा), पोस्ट-पुपुनकी आश्रम, थाना-चास (मु०), जिला-बोकारो के द्वारा लाया गया है।

उक्त वाद मौजा पुपुनकी खाता नं०-60, प्लॉट नं०-902, रकवा-0.07 एकड़ से संबंधित है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी का कथन है कि मौजा पुपुनकी खाता नं०-60, प्लॉट नं०-902, रकवा-0.07 एकड़ भूमि रैयती खतियानी भूमि है। भू-अर्जन विभाग के द्वारा अर्जित किये गये भूमि का मूल्य कृषि योग्य भूमि के दर पर निर्धारित किया गया है। कुल रकवा- 0.07 एकड़ भूमि का मूल्य 1394628.00 (तेरह लाख चौरानवे हजार छः सौ अठाईस) रुपये को आपत्ति के साथ रैयतों के द्वारा मुआवजा लिया गया है। जबकि वर्तमान में बाजार दर 400000.00 (चार लाख) रू० प्रति डिसमिल के हिसाब से चल रहा है। परन्तु भू-अर्जन विभाग के द्वारा आवासीय योग्य भूमि बताकर भूमि का मूल्यांकन किया गया है, जो गलत है। आवेदक के द्वारा पुनः आवासीय दर का मूल्यांकन कर मुआवजा भुगतान करने हेतु अनुरोध किया गया है।



द्वितीय पक्ष NHAI के द्वारा अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि भूमि के मूल्यांकन के साथ-साथ भूमि की श्रेणी और आवेदक को भुगतान की गयी मुआवजा राशि उचित है, इसलिए इनके द्वारा किये जा रहे दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है तथा संबंधित वाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस कार्यालय के पत्रांक 2184/रा०, दिनांक 21.08.2020 के द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो से संदर्भित अपीलवाद में जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो का पत्रांक 450(A)/भू०अ०, दिनांक 29.08.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जो अभिलेख में संधारित है। जाँच प्रतिवेदन में वर्णित किया गया है कि मौजा नावाडीह में आवेदित प्लॉट संख्या-० धारा 3A में भूमि का किस्म बाईद गजट में दर्ज है। धारा 3A के अनुरूप धारा 3G में भूमि का किस्म कृषि दर्ज किया गया है। NHAI के द्वारा धारा 3A की अधियाचना में भूमि का किस्म बाईद प्रस्तुत किया गया था तथा धारा 3A में दर्ज भूमि के किस्म के अनुरूप धारा 3G तैयार करने हेतु NHAI द्वारा पत्र भी उपलब्ध कराया गया था। धारा 3A के प्रकाशन के बाद भूमि के किस्म में परिवर्तन हेतु हितबद्ध रैयतों द्वारा किसी प्रकार का कोई दावा ससमय प्राप्त नहीं हुआ था।

आवेदक के द्वारा अपने वक्तव्य एवं लिखित जवाब के समर्थन में ऐसी कोई कागजात /साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उनके द्वारा किये जा रहे दावे को बल मिल सके।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौजा पुपुनकी खाता नं०-60, प्लॉट नं०-902, रकवा-0.07 एकड़ भूमि कृषि योग्य भूमि है।



आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहि

सर्वे खतियान में भी भूमि का किस्म कृषि दर्ज है। उपरोक्त भूमि NH-32 के लिए अधिग्रहित भूमि है, जिसका मूल्यांकन जिला भू-अर्जन कार्यालय, बोकारो द्वारा नियमानुसार सही प्रक्रिया अपनाते हुए बिना किसी भेदभाव के किया गया है।

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, धनबाद एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो को आदेश दिया जाता है कि मौजा पुपुनकी खाता नं०-60, प्लॉट नं०-902, रकबा-0.07 एकड पर अवस्थित चाहरदिवारी (संरचना) का पुनः मूल्यांकन करते हुए मूल्यांकन की राशि यथाशीघ्र आवेदक को भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक द्वारा दाखिल किये गये अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। उक्त आदेश की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो/परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, धनबाद को भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।


अपर समाहर्ता
-सह-
आर्बिट्रेटर, बोकारो।


अपर समाहर्ता
-सह-
आर्बिट्रेटर, बोकारो।